संख्या-70/XXVIII-4-2006-52/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून

चिकित्सा अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक : 06 मार्च, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2005-06 में ब्लड बैंक भवन रूद्रप्रयाग ,जनपद रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र [illegible]/2005/3467 दिनांक 30.01.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में ब्लड बैंक भवन रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु धनराशि रू0 29,50,000.00(रू0 उनतीस लाख पचास हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय [illegible] चालू वित्तीय वर्ष मे संलग्न बी0एम0-15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन द्वारा रू0 29,50,000.00(रू0 उनतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व [illegible] सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग [illegible] अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 [illegible] । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में [illegible] प्रावधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार [illegible] किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6 कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा [illegible] है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें [illegible] नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार [illegible] के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली [illegible] ।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय [illegible] 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गयाहै

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश कार्य परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यों को [illegible] जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-आयुर्विज्ञान 110-अस्पताल तथा औषधालय, -00-04-ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-15 के कालॅम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग की [illegible] नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 02.03.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक यथोक्त:

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-70(1)/XXVIII-4-2006-52/[illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4- जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय [illegible] ।
7- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
8- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
9- वित्त(वित्त नियंत्रण) अनुभाग-3/ [illegible] एन0आई0सी0 ।
10- आयुक्त कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (वित्तीय वर्ष 2005-06)

प्रस्तर - 158 अनुदान संख्या-12

बी0एम0-15

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

पुनर्विनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत			क) ... ... [illegible]
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
10-एलोपैथी				110-अस्पताल तथा औषधालय			
05-रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण				23-ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण			
24-वृहत निर्माण कार्य-57156	-	-	57156 (क)	24-वृहत निर्माण कार्य-2950 (ख)	4628	54206	
योग- 57156	-	-	57156	2950	4628	54206	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(अतर सिंह)

उप सचिव